



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2017/पौष 20, 1938

No. 58]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2017/PAUSA 20, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2017

**का.आ. 67(अ).**—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित की जाती है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

सिंगालिया राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में 78.60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह पश्चिम में नेपाल, उत्तर में सिक्किम और पूर्व में दार्जिलिंग वन प्रभाग से घिरा हुआ है;

और, राष्ट्रीय उद्यान देश के पृथक जैव प्रांत के अधीन आता है और एक सुभिन्न जीन कोष का प्रतिनिधित्व करता है तथा वह संरक्षण ईकाई के रूप में ऊँचाई संबंधी विविधता, भिन्नता, नैसर्गिकता के व्यापक जैविक भिन्नता के साथ शीतोष्ण और अल्पीय जलवायु वन की कुछ अद्वितीय प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है;

और, क्षेत्र में रेड पाण्डा, हिमालयन काला भालू जैसी दुर्बल स्तनधारी के कुछ प्रजातियां और विश्व के सबसे अधिक पक्षी प्राणी जन्तु क्षेत्रों में से एक है जहां लगभग 550 प्रजातियां हैं जिनके अंतर्गत समूहों को व्यापक परिक्षेत्र है। एक छोटे से क्षेत्र के भीतर फलता फुलता है;

और, क्षेत्र में सर्पों की स्तर से अधिक प्रजातियां हैं और उभयचरों की 200 से अधिक प्रजातियां हैं। मत्स्य प्राणी जीव भौगोलिक रूप से प्रचुर है और भारत-चीन, भारत-मलायन और पूर्वी क्षेत्रों के भारतीय उपक्षेत्र को जोड़ता है। कीट जनसंख्या प्रचुर है और बहुत अधिक फैली हुई है।

और, यह क्षेत्र स्वदेशी वनस्पति और जीवजन्तु के अनुसंधान और परिरक्षण के लिए पारिस्थितिक और वैज्ञानिक कारण से महत्वपूर्ण है;

और, संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र की जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिक पर्यावरणीय और जैव विविधता के दृष्टिकोण से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों और उनकी सक्रियाओं और प्रसंस्करणों को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिंगालिया राष्ट्रीय उद्यान की सीमा लगभग 0 से 2 किलोमीटर की विस्तार क्षेत्र परिवर्ती करती है की पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार सिंगालिया राष्ट्रीय उद्यान की सीमा शून्य से दो किलोमीटर (दक्षिण में नेपाल बार्डर और उत्तर में सिक्किम) तक हैं। पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 52.60 वर्ग किलोमीटर है ऐसे जोन का सीमा वर्णन **उपाबंध I** के रूप में संलग्न है।

(2) उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 9 ग्रामों और उनके जीपीएस समकक्ष की सूची **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र के साथ अक्षांश तथा देशांतर **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है।

(4) सिंगालिया राष्ट्रीय उद्यान जीपीएस समकक्ष और पारिस्थितिक संवेदी जोन **उपाबंध III**क में दिए गए है।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना** – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय लोगों से परामर्श करके और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना का राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों के और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

(4) आंचलिक महायोजना, सभी संबंधित राज्य विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) शहरी विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिका ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;

- (viii) पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना में जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो तब तक अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जाएगा और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना के सुधार और अधिक दक्ष तथा पारिस्थितिक अनुकूल होने वाले क्रियाकलाप इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नदी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे पारिस्थितिक अनुकूल विकास स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया जा सके।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय—** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 12, 24, 29, 38 और 39 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना तथा उनका सुदृढीकरण और नई सड़कों का संनिर्माण ;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख- सुविधाएं हैं; और
- (v) हिम और वर्षा जल संचय।

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रतीत होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक की जाएगी और उक्त त्रुटि के ठीक करने की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं, को प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन** - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग, के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिर्देशों और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वृहत् क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा।

(ii) होटल और सैरगाहों के नए संनिर्माण सिंगलिया राष्ट्रीय उद्यान एक किलोमीटर के भीतर पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक संबंध पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के लिए अनुज्ञात होंगे अन्यथा नहीं;

परंतु राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर के परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व निश्चित और नामर्दिष्ट क्षेत्रों में और पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य पश्चिम बंगाल सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का. नि. 343 (अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गति आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, राज्य सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों के अधीन तथा तद्विना बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाईयां** - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ उद्योगों की स्थापना विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए अनुज्ञात की जाएगी अन्यथा नहीं ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले किसी नए उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

**4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्विना बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

#### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
<b>प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाईयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	किसी खतरनाक वस्तुओं का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।

5.	मुख्य तापीय और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	मत्स्य पालना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
10.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)
11.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)
<b>विनियमित क्रियाकलाप</b>		
12.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकट हो, के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं :  परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:  परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) इसके अतिरिक्त, एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण और अन्य संनिर्माण क्रियाकलापों को महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
14.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	सड़क, रेल और यातायात।	नए राजमार्ग या रेल वाहन का संनिर्माण नहीं किया जाएगा। विद्यमान

		सड़क और रेल यातायात की रात में (6 बजे अपराह्न से 5 बजे पूर्वाह्न तक) विनियमित किया जाएगा।
16.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	भूमिगत जल का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्य योजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा।
21.	विद्युत केबलों का परिनिर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	जैव सामग्री का पुनः उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	विद्युत लाइनों रोधन।	भूमिगत केबल को बढ़ावा देना।
24.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और ऐसे शमन उपायों, जो लागू हों, के अनुसार किया जाएगा।
25.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर वन्यजीव के स्वतंत्र संचलन होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापनों की अनुमति के उद्देश्य से कांटेदार बायर से उनकी संपतियों में बेडा नहीं लगाया जाएगा और न ही एक मीटर से ऊंचाई से कोई बेडा होगा। किसी विद्यमान बाडा पर यह अनुबंध लागू नहीं होगा आंतरिक महायोजना में उल्लिखित समय सीमा के अनुसार आंतरित किया जाएगा।
26.	कृषि प्रणाली का भारी परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
30.	गैर-इमारती वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	ट्रेकिंग और कैम्पिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
32.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	नदी और प्राकृतिक नाले के तट से 1 से 10 और साथ ही 100 मीटर तक की पहाड़ी ढालों पर तब तक आंचलिक महायोजना के अधीन अन्यथा अनुमति प्रदान न की गई हो।
33.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

34.	पारिस्थितिक-पर्यटन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
<b>संवर्धित क्रियाकलाप</b>		
35.	चल रही कृषि, बागवानी और अन्य वानिकी क्रियाकलाप।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	हिम या वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	बागवानी और अन्य क्रियाकलाप।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

**5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- |       |   |             |
|-------|---|-------------|
| (i)   | संबद्ध उपायुक्त   | अध्यक्ष;    |
| (ii)  | पर्यावरण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए। | सदस्य;      |
| (iii) | पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ जिसे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए।   | सदस्य;      |
| (iv)  | पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि  | सदस्य;      |
| (v)   | जिला भूमि और भूमि सुधार अधिकारी का प्रतिनिधि-   | सदस्य;      |
| (vi)  | राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य  | सदस्य;      |
| (vii) | प्रभागीय वन अधिकारी   | सदस्य-सचिव। |

**निर्देश निबंधन:**

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) समिति की अवधि तीन वर्ष के लिए होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।



(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(9) इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

6. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे

[फा. सं. 25/37/2016-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

**उपाबंध I**

### सिंगालिया राष्ट्रीय उद्यान का सीमा का वर्णन

उत्तर – रांगडॉंग खोला द्वारा विभाजित सिक्किम।

पूर्व- फालुट4 के पूर्वी उपखंड सीमा, सबरकम-10,12 और 3, भी-3, सडकफु- 4,5,6, और अमीयभजंग साउथ रिंबिक के उपखंड सहित रोड के क्रासिंग से रिंबिक फारेस्ट रोड।

पश्चिम और दक्षिण – फालुट से भुटिया बस्ती कोला तक चलती हुई सडक द्वारा चिन्हित भारत नेपाल सीमा।

उपाबंध- II

### पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों के ब्यौरे

#### सिंगालिया राष्ट्रीय उद्यान की सीमा 1 किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची


क्र. सं	ग्राम के नाम	ग्रामों के भू-निर्देशांक
1.	राममम	27°08'49.2", 88°04'52.3"
2.	समनदेन	27°10'50.7", 88°04'18.7"
3.	गुरुदम	27°08'28.9", 88°04'53.0"
4.	रितु	27°04'20.4", 88°05'23.1"

#### सिंगालिया राष्ट्रीय उद्यान की सीमा 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं	ग्राम के नाम	ग्रामों के भू-निर्देशांक
1.	श्रीकोला	27°07'6.5", 88°03'26.8"
2.	सेती	27°07'13.3", 88°06'4.9"
3.	नमाला	27°05'57.7", 88°05'58.4"
4.	लिसेबोंग	27°06'13.6", 88°07'17.3"
5.	सबागोन	27°07'38.1", 88°05'2.5"

सिंगलिया राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

# ECO SENSITIVE MAP OF SINGALILA NATIONAL PARK



## उपाबंध-III क

## सिंगालिया राष्ट्रीय उद्यान के चारों कोनों के भू-निर्देशांक

क्र. सं	अक्षांश	देशांतर
1	27°01'53.5"	88°04'7.3"
2	27°02'54.5"	88°01'47.8"
3	27°04'43.9"	88°01'4.4"
4	27°06'17.8"	88°00'6.03"
5	27°10'16.0"	88°01'9.43"
6	27°13'3.07"	88°00'46.7"
7	27°11'19.13"	88°04'24.7"
8	27°08'54.1"	88°02'44.3"
9	27°06'30.2"	88°01'51.9"
10	27°05'24.8"	88°01'39.6"
11	27°03'1.8"	88°01'58.2"

## पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांक

एक किलोमीटर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा	दो किलोमीटर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा
27°11'16.59", 88°04'59.4"	27°11'11.45", 88°05'34.33"
27°10'3.63", 88°04'11.2"	27°10'9.0", 88°04'46.5"
27°07'51.25", 88°03'14.6"	27°07'51.7", 88°03'50.87"
27°08'28.21", 88°03'21.1"	27°07'27.6", 88°03'59.7"
27°05'50.13", 88°03'47.57"	27°05'47.3", 88°04'24.84"
27°04'18.73", 88°04'0.5"	27°04'24.38", 88°04'36.7"
27°04'20.5", 88°03'59.9"	27°04'30.4", 88°04'34.47"
27°03'38.4", 88°05'3.02"	27°03'33.28", 88°05'48.4"
27°01'56.1", 88°04'46.14"	27°02'8.6", 88°05'20.53"
27°01'36.15", 88°04'37.9"	27°01'18.7", 88°05'8.4"

## उपाबंध-IV

## पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2017

**S.O. 67(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in).

#### Draft Notification

**WHEREAS**, the Singalila National Park is spread over an area of 78.60 Sq. Km in Darjeeling district in the state of West Bengal and it is surrounded by Nepal in the West, Sikkim in the North and Darjeeling Forest Division in the East;

**AND WHEREAS**, The National Park, falls under a separate biotic province of the country and represents a distinct gene pool and it represents some unique species of temperate and alpine forest with wide variety biota of the altitudinal variation, diversity, naturalness as conservation unit;

**AND WHEREAS**, The region has some species of rare mammals like Red Panda, Himalayan Black Bear and is one of the richest avifauna area of the world where 550 species approximately covering wide range of groups thrive with in a small space;

**AND WHEREAS**, The region has more than 70 species of snakes and more than 200 species of Amphibians. The fish fauna is geographically rich and connects Indo-China, Indo-Malayan and Indian sub-region of oriental regions. The insect population is extremely rich and greatly diversified;

**AND WHEREAS**, This area is important for ecological and scientific reason of research and preservation of the gene pool of indigenous flora and fauna;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Singalila National Park as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone; and

**NOW THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero to two kilo meter around the boundary of Singalila National Park of the Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from zero (Nepal Border on Western Side and Sikkim on Northern Side) to two kilo-meters from the boundary of Singalila National Park. The area of Eco sensitive Zone is 52.60 square kilometres. The boundary description of such zone is given in **Annexure-I**.

(2) The list of 9 villages and their GPS co-ordinates falling under the said Eco-sensitive Zone is annexed as **Annexure-II**.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III**.

(4) The GPS coordinates of Singalila National Park and Eco-sensitive Zone are given in **Annexure-III A**.

**2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with the local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned

State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) West Bengal State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 24, 29, 38 and 39 in column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
- (ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) Small scale industries not causing pollution;
- (iv) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities; and
- (v) Rainwater harvesting.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan;

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, in consultation with the Department of Forests and Environment of the State Government;

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Singalila National Park except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc., shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or West Bengal State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or West Bengal State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture; and

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

**TABLE**

S. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
<b>Prohibited activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godvarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.



6.	Fishing.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; and (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
10.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Introduction of exotic species.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
<b>Regulated activities</b>		
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.  Provided that, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of protected area or of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer.  Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: (b) Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone, construction for <i>bone fide</i> local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.

14.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
15.	Road, railway and traffic.	No new Highway or Railway line construction will be done. Traffic of existing roads and railway should be regulated in number and speed in night (from 6 P.M to 5 A.M).
16.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
17.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
18.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
19.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
20.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.
21.	Erection of electric cables.	Regulated under applicable laws.
22.	Recycling of Bio degradable material.	Regulated under applicable laws.
23.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling.
24.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
25.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
26.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
27.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
28.	Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
30.	Collection of Non-timber forest products.	Regulated under applicable laws.
31.	Trekking and camping.	Regulated under applicable laws.
32.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
33.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.

34.	Eco-Tourism.	Regulated under applicable laws.
<b>Promoted activities</b>		
35.	Ongoing agriculture practices, plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
36.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
37.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
38.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
39.	Snow or Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
40.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
41.	Plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
42.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
43.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.
44.	Skill Development.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee.-** The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

- (i) Concerned Deputy Commissioner Chairman;
- (ii) One representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of West Bengal for a period of three years Member;
- (iii) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of West Bengal for a period of three years Member;
- (iv) Representative of West Bengal Pollution Control Board Member;
- (v) Representative of District Land & Land Reforms Officer Member
- (v) Member State Bio Diversity Board Member; and
- (vi) Divisional Forest Officer Member-Secretary

**Terms of Reference:**

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Committee shall be three years.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 but are

falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
  - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
  - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per performa appended at **Annexure IV**.
  - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
  - (9) The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
6. The provisions of this notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/37/2016-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

#### ANNEXURE- I

##### Boundary details of Singalila National Park

North – Sikkim divided by Rongdong Khola

East -- Eastern compartment boundaries of Phalut4, Saburcum -10,12 and 3, Siri-3,Sandakphu4, 5, 6 and Maneybhanjang - Rimbick Forest Road from the crossing of the road with compartment of south Rimbick.

West & South – Indo Nepal Border identified by road running from Phalut to Bhutia Busty Khola..

#### ANNEXURE- II


##### Detail of Villages within the Eco-sensitive Zone

List of Villages from 1 km of the Boundary of Singalila National Park

Sl. No.	Name of Village	Geo Reference of Villages
1.	Rammam	27 <sup>0</sup> 08'49.2'', 88 <sup>0</sup> 04'52.3''
2.	Samanden	27 <sup>0</sup> 10'50.7'', 88 <sup>0</sup> 04'18.7''
3.	Gurdum	27 <sup>0</sup> 08'28.9'', 88 <sup>0</sup> 04'53.0''
4.	Rithu	27 <sup>0</sup> 04'20.4'', 88 <sup>0</sup> 05'23.1''

List of Villages from 1 km to 2 km of the Boundary of Singalila National Park

Sl. No.	Name of Village	Geo Reference of Villages
1.	Srikola	27 <sup>0</sup> 07'6.5'', 88 <sup>0</sup> 03'26.8''
2.	Seti	27 <sup>0</sup> 07'13.3'', 88 <sup>0</sup> 06'4.9''
3.	Namala	27 <sup>0</sup> 05'57.7'', 88 <sup>0</sup> 05'58.4''
4.	Linsebong	27 <sup>0</sup> 06'13.6'', 88 <sup>0</sup> 07'17.3''
5.	Sabagaon	27 <sup>0</sup> 07'38.1'', 88 <sup>0</sup> 05'2.5''



**Annexure-III A****Geo-co-ordinates at Four Corners of Singalila National Park**

Sl. No.	Latitude	Longitude
1	27°01'53.5''	88°04'7.3''
2	27°02'54.5''	88°01'47.8''
3	27°04'43.9''	88°01'4.4''
4	27°06'17.8''	88°00'6.03''
5	27°10'16.0''	88°01'9.43''
6	27°13'3.07''	88°00'46.7''
7	27°11'19.13''	88°04'24.7''
8	27°08'54.1''	88°02'44.3''
9	27°06'30.2''	88°01'51.9''
10	27°05'24.8''	88°01'39.6''
11	27°03'1.8''	88°01'58.2''

**Geo-co-ordinates of Eco sensitive Zone**

One km Eco sensitive Zone Boundary	Two km Eco sensitive Zone Boundary
27°11'16.59'', 88°04'59.4''	27°11'11.45'', 88°05'34.33''
27°10'3.63'', 88°04'11.2''	27°10'9.0'', 88°04'46.5''
27°07'51.25'', 88°03'14.6''	27°07'51.7'', 88°03'50.87''
27°08'28.21'', 88°03'21.1''	27°07'27.6'', 88°03'59.7''
27°05'50.13'', 88°03'47.57''	27°05'47.3'', 88°04'24.84''
27°04'18.73'', 88°04'0.5''	27°04'24.38'', 88°04'36.7''
27°04'20.5'', 88°03'59.9''	27°04'30.4'', 88°04'34.47''
27°03'38.4'', 88°05'3.02''	27°03'33.28'', 88°05'48.4''
27°01'56.1'', 88°04'46.14''	27°02'8.6'', 88°05'20.53''
27°01'36.15'', 88°04'37.9''	27°01'18.7'', 88°05'8.4''

**ANNEXURE-IV****Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise); [Details may be attached as Annexure].
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006; [Details may be attached as separate Annexure].
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006; [Details may be attached as separate Annexure].
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.